डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2001—आश्विन 25, शक 1923

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 17-10-2001

क्रमांक/253/विशेष सचिव/मबावि/2001

मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के उत्थान हेतु विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं/अशासकीय संस्थाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार देने का निर्णय लिया है. इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार नियम-2001'' है.
   (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषायें :**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

   (अ) ''महिलाओं'' से तात्पर्य एक या एक से अधिक महिलाओं से है.

   (ब) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का कोई भाग या जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर कोई समूह.

(स) ''अशासकीय संस्था'' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्वैच्छिक आधार पर महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी पंजीकृत संस्था से है.

(द) ''निर्णायक मंडल'' से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठित निर्णायक मंडल से है.

3. **पुरस्कार का स्वरूप :—**

1. मिनी माता स्मृति समाज सेवा पुरस्कार रुपये 2.00 लाख नगद के रूप में दिया जायेगा. पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु सेवा करने वाली छत्तीसगढ़ की अशासकीय संस्था/महिला/महिलाओं को हर वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल द्वारा चयन होने पर दिया जायेगा परंतु निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर पुरस्कार की नगद राशि दो संस्थाओं/महिलाओं के मध्य विभाजित भी हो सकती है.

2. पुरस्कार हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं रहेगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन** :—राज्य शासन, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मण्डल (जूरी), जो सामान्यत: पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

5. **निर्णायक मंडल की शक्तियां :—**

(1) निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

(2) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी जूरी अपने स्वविवेक से ऐसी किसी महिला/किन्हीं संस्थाओं के प्रस्ताव पर विचार कर सकेगी जिन्हें पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाये.

(4) सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये एक ही अशासकीय संस्था/महिला का चयन होगा किन्तु निर्णायक मंडल यदि आवश्यक समझेगा तो वह एक पुरस्कार के लिए दो संस्थाओं/महिलाओं का चयन कर सकेगा और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जावेगी.

(5) निर्णायक मंडल की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किए जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा.

6. **चयन प्रक्रिया** :—पुरस्कारों के लिए उपयुक्त महिलाओं/अशासकीय संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा. प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिए यथा आवश्यक समय दिया जायेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेंगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

2. प्रविष्टि प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कक्ष में प्रस्तुत की जावेंगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जावें :—

क. महिला/अशासकीय संस्था का पूर्ण परिचय.

ख. महिलाओं के उत्थान हेतु किये गये मय सेवा कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी. यह प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा कि उपलब्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं.

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

घ. उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की एक-एक छायाप्रतियां.

ङ महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की छायाप्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां.

च. अन्य सुसंगत दस्तावेज, जो आवश्यक हों.

छ. चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में महिला/संस्था की लिखित सहमति.

3. (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का सेवा कार्य पुरस्कार योग्य नहीं है. निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाली ऐसी संस्था पश्चात्वर्ती वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगी.

4. प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार कर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा.

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा परंतु राज्य शासन को अधिकार होगा कि जहां यह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेगा.

6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के तत्काल बाद संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा.

पंजीयन क्रमांक	संस्था/महिला का नाम तथा पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. पंजीयन के पश्चात् प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवाई जावेगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा :—

(1) संस्था/महिला का नाम तथा पता.

(2) प्रस्तावक.

(3) सेवा कार्य की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा.

(4) प्राप्त पुरस्कार/सम्मान.

(5) प्रमाण/टिप्पणियां.

(6) संस्था से संबंधित प्रतिवेदन.

(7) पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति दी है/नहीं दी है.

7. **चयन के मापदण्ड** :—पुरस्कार के लिए उत्कृष्ट संस्था/महिला के चयन हेतु निम्नलिखित मापदण्ड रहेंगे :—

(1) पुरस्कार के लिये निर्णायक मंडल द्वारा ऐसी महिला/संस्थाओं का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ राज्य की अनु. जा./ज. जा., पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के उत्थान हेतु दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मंडल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन होगा अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेगा. महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में परिणाममूलक निरंतरता भी आवश्यक है.

(3) महिला/संस्था/प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए बताई गई उपलब्धियां वास्तविक तथ्य पर आधारित हैं.

(4) पुरस्कार चूंकि संस्था/महिला के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा इसलिए सेवा कार्य में संस्था/महिला द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) सेवा के क्षेत्र में संस्था के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए जो कि प्रमाण-पत्रों, पत्र कतरनों एवं प्रतिवेदनों से परिपुष्ट/समर्पित होगा.

(6) यह भी देखा जायेगा कि परंपरागत तरीके से अलग हटकर महिलाओं की उत्थान के सेवा के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(7) महिलाओं के उत्थान हेतु संस्था के उत्थान संबंधी उसी सेवा कार्य को पुरस्कार के लिये विचार किया जायेगा जो महिलाओं के उत्थान हेतु विशिष्ट कार्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है.

(8) महिलाओं के उत्थान के संबंध में अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त संस्था द्वारा भी इस पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत की जा सकेगी लेकिन किसी भी संस्था को यह पुरस्कार एक ही बार मिलेगा.

(9) अपनी प्रविष्टि के साथ संस्था को यह लिखित सहमति देना होगी कि वह पुरस्कार ग्रहण करने हेतु सहमत है.

(10) शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें/शासकीय सेवक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी.

(11) निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य से संबंधित संस्था उस वर्ष के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मंडल में संस्था से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. **पुरस्कार की घोषणा** :—निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह** :— पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आयोजित किया जावेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित महिला/संस्था को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थिति में पुरस्कृत संस्था/महिला अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. चयनित महिला/संस्था को समारोह के लिए शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की समपूर्ति** :—पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जावेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** :— राज्य शासन (महिला एवं बाल विकास) को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन** :—प्रतिवर्ष प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयनित महिला/संस्थाओं आदि का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा संधारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.